न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	26.06.2023	09.02.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1— श्री पदम चन्द जैन पुत्र चिरन्जीलाल जैन निवासी पुराना बाजार डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश कुमार राकेश कुमार पचेवर रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोक पिनकोड—304504 मोबाईल नं. 9828015339
2—मैसर्स दिनेश कुमार राकेश कुमार पचेवर रोड डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 09.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2022 को समय 3.00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स दिनेश कुमार राकेश कुमार पचेवर रोड डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोक पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे गुड,तेल,घी एंव मसालों के साथ साथ कागज के एक कार्टून मे लगभग 20 मूल पैक पेक्ड अवस्था मे प्रत्येक 700—700 एम.एल0 पैक **रिफाइंड पाम ऑयल (बिलोवना ब्राण्ड)** रखे हुए थे जिसका निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री पदम चन्द जैन पुत्र चिरन्जीलाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता श्री पदम चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के एक कार्टून रखे लगभग 20 मूल पैक पेक्ड अवस्था मे से 700—700 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक जिसके बेच नम्बर एसटी—19 एंव पैकिग की दिनांक अगस्त 2022 थी वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री पदम चन्द जैन पुत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक

चिरन्जीलाल जैन को रू0 320/– अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल (बिलोवना ब्राण्ड)** 4 पॉली पैक को कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग–अलग प्रत्येक डिब्बे में 1–1 पैकेट रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3347 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3347 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री पदमचन्द जैन पुत्र श्री चिरन्जीलाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3980 दिनांक 15–12–2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/3431/एक्ट/2022/3472 दिनांक 7.12.2022 अनुसार पदमचन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (बिलोवना ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **रिफाइंड पाम ऑयल (बिलोवना ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी उपस्थित हुए एंव निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रकरण में 15–3–2024 ता0 पेशी नियत है किन्तु प्रार्थी आज ही आपके न्यायालय में उपस्थित हो गया है। प्रार्थी अपना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण आज ही कर दिया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड पाम ऑयल (बिलोवना ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था, वह **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (बिलोवना ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.02.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0